

टी-2 फॉर्म पर 30 तक नरमी वैट डिपार्टमेंट ने व्यापारियों से मांगा रेवेन्यू बढ़ाने का रोडमैप

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

व्यापारियों को टी-2 फॉर्म भरकर देने पर वैट डिपार्टमेंट 30 अप्रैल तक नरमी बरतेगा। यह आम सहमति दो दिन पहले वैट कमिश्नर और व्यापारियों के बीच हुई बैठक में बनी। हालांकि, वैट कमिश्नर ने व्यापारियों से 30 अप्रैल तक एक रोडमैप भी मांगा है कि किस प्रकार से वैट डिपार्टमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाए। व्यापारियों को सुझाव 30 अप्रैल को होने वाली दोबारा बैठक में देने हैं।

दिल्ली के व्यापारी लगातार टी-2 फॉर्म का विरोध कर रहे हैं। वैट डिपार्टमेंट ने इस फॉर्म को 15 मार्च, 2014 से जरूरी कर दिया है। इस फॉर्म के तहत व्यापारी को बाहर से आने वाले माल की डिटेल, जिस ट्रक से आता है उसका नंबर, ड्राइवर की जानकारी सहित कई और जानकारी वैट डिपार्टमेंट को ऑनलाइन भरकर देनी

दोबारा बैठक

■ रोडमैप के साथ व्यापारियों की 30 अप्रैल को होगी वैट कमिश्नर के साथ मीटिंग

■ राजधानी के व्यापारी लगातार टी-2 फॉर्म के खिलाफ विरोध कर रहे हैं

पड़ रही है। वैट डिपार्टमेंट का कहना है कि व्यापारी एसएमएस के जरिए भी यह जानकारी वैट डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा, वैट डिपार्टमेंट ने एक ऐप भी इसके लिए तैयार किया है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि 30 अप्रैल, 2014 तक की जो सहमति बनी है वह केवल मौखिक रूप

में है, जबकि सरकारी दस्तावेज में अब भी टी-2 फॉर्म भरना जरूरी है। खंडेलवाल का कहना है कि वैट कमिश्नर ने मीटिंग में यह ही कहा है कि टी-2 फॉर्म न भरने से वैट डिपार्टमेंट को टैक्स का लॉस हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए व्यापारी कोई उपाय बताएं। वैट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक, जितना रेवेन्यू वैट डिपार्टमेंट को आता है करीब उतने ही रेवेन्यू का लॉस भी होता है। वैट डिपार्टमेंट मानता है कि सभी व्यापारी टैक्स नहीं चुकाते।

उधर दिल्ली ट्रेड बोर्ड वैट कमिटी के सदस्य और व्यापारी हेमंत गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में रात में ही बाहर से आने वाले ट्रकों को एंट्री मिलती है। यह भी व्यापारियों को पता नहीं होता कि किस ट्रक से बाहर से सामान आएगा। अगर व्यापारी रात भर जागते रहेंगे तो सुबह विजनेस कैसे करेंगे। इस कारण व्यापारियों को वैट फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है।